

Nic

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-भोपाल

दूरभाष क्रमांक-2730395 Email address - deobhopal@gmail.com

क्रमांक/2025/भारत निर्वा./2018

भोपाल दिनांक 3.08.2018

:: आदेश ::

लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 159 के प्रावधानों के दृष्टिगत व तत्संबंध में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी एवं सहायक शासकीय सेवकों के नाम के समक्ष अंकित निम्नानुसार दायित्व सौंपे जाते हैं :-

क्रं.	कार्य का नाम	नोडल अधिकारी का नाम पद नाम एवं संपर्क सूत्र	सहायक अधिकारियों/शासकीय सेवकों के नाम एवं संपर्क सूत्र	सौंपे गये दायित्व
1.	आदर्श आचर संहिता	श्री अविनाश लवानिया, आयुक्त नगर निगम, भोपाल (9424499500, 9479648989)	डॉ. जितेन्द्र परमार, सहायक प्राध्यापक (मास्टर ट्रेनर) शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल (9425010677) एवं समन्वय समस्त रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी/ विभिन्न निगरानी दल	<p>आदर्श आचर संहिता:-</p> <ol style="list-style-type: none"> संपत्ति विरूपण अधिनियम के पालन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं के दल बनाने हेतु आदेश जारी कराना। संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 एवं म.प्र. कोलाहल अधिनियम, निर्वाचन अधिनियम संहिता नियंत्रण 1985 आदर्श आचरसंहिता की प्रति सभी पालन कराने वाले अधिकारियों को प्रेषित करना एवं की जाने वाली कार्यवाही के दिशा निर्देश जारी कराना। आदर्श संहिता का पालन हेतु विडियो सर्विलेंस टीम, उड़नदस्ता, स्टेटिक्स दल, विडियो वियूविंग टीम, व्यय निगरानी दल लिकर मॉनिटरिंग टीम, मीडियम मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन टीम के सदस्यों से कार्यवाही सुनिश्चित कराना। सभी आर.ओ./ऐ.आर.ओ. एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को आदर्श आचर संहिता का प्रशिक्षण।
2.	प्रशिक्षण प्रबंधन /स्वीप/	श्री हरजिंदर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (9589745226)	<ol style="list-style-type: none"> श्री धर्मेन्द्र शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी (9826697646, 9406669936) डॉ. विष्णुपाल सिंह गौर, प्राध्यापक, शा. गीतांजली क.स्ना. महा.वि. भोपाल 9406500789 नीरज अग्निहोत्री, प्राचार्य एम.वी.एम. श्री मुरलीधर, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख कार्या. कलेक्टर भोपाल श्री हरि भुवन सिंह राठौर, पौढ शिक्षा अधिकारी श्री विनोद प्रधान, संयुक्त संचालक, खेल कूद समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी 	<p>प्रशिक्षण प्रबंधन:-</p> <ol style="list-style-type: none"> मतदान दलों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सामग्री वितरण एवं प्राप्ति दलों, काउंटिंग दलों एवं अन्य हेतु प्रशिक्षण स्थलों का आरक्षण किया जाना एवं विभिन्न दलों की प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार कराना। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दलों, मतगणना दलों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सहायक व्यय प्रेक्षक/आबकारी/बैंक/व्यय लेखा दल/एफ.एस.टी./व्ही.एस.टी./व्ही.व्ही.टी/एस.एस.टी/एम.सी.एम.सी/माईक्रो आबसर्वर/राजनैतिक दल/अभ्यर्थियों का प्रेस/विडियो ग्राफर/ वाहन चालक/बी.एल.ओ. एवं वोटर अस्सिस्टेंट बूथ स्टाफ, स्वीप टीम, इलेक्शन ऐजेंट, पुलिस विभाग, ई.वी.एम. ग्राउंड स्टाफ, चिकित्सा दलों का प्रशिक्षण आयोजित करना। (विभिन्न प्रकार की जानकारी एवं एम.आई.एस. हेतु लगे स्टाफ को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदाय कराना) प्रशिक्षण स्थल पर आयुक्त नगर निगम भोपाल, एम.पी.एस.ई.बी. के कार्यालय से समन्वय कर पेय जल, शौचालय, एवं फर्निचर, प्रकाश व्यवस्था, शैड, काउंटर, इत्यादि व्यवस्थाये कराना। मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार कराना एवं प्रदाय कराना। प्रशिक्षण में फार्मेट जो संख्या कि जानकारी से संबंधित है जैसे- पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं मतपत्र लेखा, पीठासीन अधिकारी की चेकलिस्ट वल्लनरेबल किटिकल मतदान केन्द्र संबंधी जानकारी जिनमें विशेष निगरानी की जाना है इत्यादि की व्यवस्था कराना। एमसीक्यू टेस्ट पेपर। सुविधा केन्द्र।

